अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-503/नौ-5-2010-153सा/08टी०

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2010

विषयः-मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासों के निर्माण हेतु कार्यदायी इकाई का निर्धारण।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में शहरी गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2008-09 में मा0 श्री कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना कियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 60 अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासीय इकाईयों तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासीय इकाईयों का निर्माण कराया जाना प्राविधानित था। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 101000 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। द्वितीय चरण में पात्र लाभार्थियों की मांग एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। कतिपय जनपदों से द्वितीय चरण में योजना के कियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था के निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण वर्ष 2009-10 में जिन जनपदों में विकास प्राधिकरण हैं, वहॉ पर जनपद की समस्त नागर निकायों में आवासों का निर्माण संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा ही कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कराया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत जिन जनपदों में विकास प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पास आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति सुदृढ़ नहीं है तथा संबंधित जिलाधिकारी यह समझते हैं कि वास्तव में संबंधित प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा लक्ष्यानुसार आवासों का निर्माण कराया जाना संभव नहीं हो पायेगा तो ऐसी विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण अन्य किसी शासकीय संस्था द्वारा किया जायेगा। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

सं.-1372/नौ-7-10-10का.यो./2010

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2010

विषयः **मा. श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में निर्मित किये जा रहे भवनों के आवासीय परिसरों में निवासियों के लिए प्राथमिक विद्यालय, आगनबाड़ी केन्द्र, उचित दर की दुकाने तथा रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदनें के लिए कियोस्क/छोटी दुकाने बनाये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

आप सहमत होंगे कि मा. श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में निर्मित किये जा रहे भवनों के आवासीय परिसरों में निवासियों के लिए प्राथमिक विद्यालय, आगनबाड़ी केन्द्र, उचित दर की दुकानें तथा रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदनें के लिए कियोस्क/छोटी दुकाने बनाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम आवास की लागत (रू.2.45 लाख) के अन्दर ही इन सुविधाओं का विकास करने पर विचार करें। विशेषकर यह सुविधा उन परिसरों में होनी आवश्यक है जहां 500 या इससे अधिक संख्या में आवास एक स्थान पर बनाये जा रहे हैं। जहां एक स्थान पर 500 से कम आवास निर्मित होने है, वहां पर जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार एवं स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत इन सुविधाओं के विकास के लिए विचार करें।

3- योजनान्तर्गत प्रथम चरण में निर्मित आवासों के आवासीय परिसरों में भी इन सुविधाओं के विकास के लिए विचार कर लिया जाय। चूंकि प्रश्नगत आवास अधिकांशतः स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित हो रहे हैं। इसलिए इन सुविधाओं के विकास के लिए संबंधित स्थानीय निकाय (अथवा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो) इन सुविधाओं के विकास के लिए विचार कर ले, ताकि योजनान्तर्गत बनाये गये आवासों के परिसर में इस प्रकार की सुविधा लाभार्थियों को मिल सके।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सभी प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीय, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10.6.10
(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

अभियन्त्रण - अनुभाग

प्र० सं० 2631 / M-51 / शासनादेश दिनांक: 18.6.10

प्रतिलिपि - (1) मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को ले-आउट प्लान में प्रश्नगत सुविधाओं का नियोजन कराने हेतु प्रेषित।

(2). अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त - 1/2/3/4/5/6/7/ वृन्दावन / ग्लोबल हैदर को सूचनार्थ एवं उनके सम्बन्धित जनपदों में निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

(3). अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता (कन्ट्रोल रूम)।

18/06/10
एम० पी० वैश्य
नोडल अधिकारी

सं.-1603/नौ-7-10-153सा/08टीसी

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2010

विषयः **मा. श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण हेतु निर्मित किये जाने वाले आवासों के लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1453/नौ.-7-10-153सा./2008टी.सी. दिनांक-09.06.2010 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1486/नौ.-7-10, दिनांक-10.06.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों/मण्डलों से प्राप्त सूचना के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मा. श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण हेतु निर्मित किये जाने वाले आवासों का जनपदवार लक्ष्य संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार निर्धारित किया गया है। कृपया निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवासों के निर्माण कराये जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सभी प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीय, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना वर्ष 2009–10 (द्वितीय चरण)		
मण्डल/जनपद का नाम	प्रथम चरण का लक्ष्य	द्वितीय चरण का संशोधित लक्ष्य
1	2	3
1–बरेली मण्डल		
पीलीभीत	1500	1500
बदायूँ	1500	1272
बरेली	1500	1179
शाहजहॉपुर	1500	800
मण्डल योग	**6000**	**4751**
2–फैजाबाद मण्डल		
फैजाबाद	1500	668
सुल्तानपुर	1500	900
बाराबंकी	1500	1300
अम्बेडकर नगर	1500	1080
मण्डल योग	**6000**	**3948**
3–झांसी मण्डल		
जालौन	1500	1500
झांसी	1500	1500
ललितपुर	1500	900
मण्डल योग	**4500**	**3900**
4–आगरा मण्डल		
आगरा	1500	1500
मथुरा	1500	1500
फिरोजाबाद	1500	2100
मैनपुरी	1500	1000
मण्डल योग	**6000**	**6100**
5–बस्ती मण्डल		
बस्ती	1000	1000
संतकबीर नगर	1000	1000
सिद्धार्थनगर	1000	1000
मण्डल योग	**3000**	**3000**

मण्डल/जनपद का नाम	प्रथम चरण का लक्ष्य	द्वितीय चरण का संशोधित लक्ष्य
1	2	3
6–चित्रकूटधाम मण्डल		
बॉदा	1500	1500
चित्रकूट	1000	1000
महोबा	1500	1000
हमीरपुर	1500	1008
मण्डल योग	**5500**	**4508**
7–देवी पाटन मण्डल		
गोण्डा	1500	800
बलरामपुर	1000	300
बहराइच	1500	1000
श्रावस्ती	1000	500
मण्डल योग	**5000**	**2600**
8– लखनऊ मण्डल		
उन्नाव	1500	1100
लखीमपुर खीरी	1500	1000
रायबरेली	1500	750
लखनऊ	1500	10000
सीतापुर	1500	750
हरदोई	1500	1500
मण्डल योग	**9000**	**15100**
9–विन्ध्याचल मण्डल		
मीरजापुर	1500	1000
सोनभद्र	1500	1000
भदोही	1500	500
मण्डल योग	**4500**	**2500**
10–अलीगढ़ मण्डल		
अलीगढ़	1500	576
एटा	1500	876
महामाया नगर	1500	1500
काशीराम नगर	1500	1200
मण्डल योग	**6000**	**4152**

मण्डल/जनपद का नाम	प्रथम चरण का लक्ष्य	द्वितीय चरण का संशोधित लक्ष्य
1	2	3
11—वाराणसी मण्डल		
गाजीपुर	1500	664
चन्दौली	1500	500
जौनपुर	1500	840
वाराणसी	1500	1500
मण्डल योग	**6000**	**3504**
12— मेरठ मण्डल		
गाजियाबाद	1500	1500
गौतमबुद्धनगर	1000	1000
बागपत	1500	1036
बुलन्दशहर	1500	600
मेरठ	1500	1500
मण्डल योग	**7000**	**5636**
13—सहारनपुर मण्डल		
सहारनपुर	1500	1500
मुजफ्फर नगर	1500	1500
मण्डल योग	**3000**	**3000**
14—कानपुर मण्डल		
इटावा	1500	1500
औरैया	1500	1500
कन्नौज	1500	1100
कानपुर देहात	1000	400
कानपुर नगर	1500	8000
फर्रूखाबाद	1500	910
मण्डल योग	**8500**	**13410**
15—इलाहाबाद मण्डल		
इलाहाबाद	1500	1500
कौशाम्बी	1000	1000
फतेहपुर	1500	750
प्रतापगढ़	1500	650
मण्डल योग	**5500**	**3900**

मण्डल/जनपद का नाम	प्रथम चरण का लक्ष्य	द्वितीय चरण का संशोधित लक्ष्य
1	2	3
16—गोरखपुर मण्डल		
कुशीनगर	1000	800
गोरखपुर	1500	1500
देवरिया	1500	600
महराजगंज	1000	1000
मण्डल योग	**5000**	**3900**
17—आजमगढ़ मण्डल		
आजमगढ़	1500	700
बलिया	1500	700
मऊ	1500	960
मण्डल योग	**4500**	**2360**
18—मुरादाबाद मण्डल		
जे0पी0 नगर	1500	372
बिजनौर	1500	750
मुरादाबाद	1500	2500
रामपुर	1500	1500
मण्डल योग	**6000**	**5122**
सम्पूर्ण योग	**101000**	**91391**

संख्या– 114 / 26–ब0प्र0–2011–09सा / 09

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
कौशम्बी / काशीराम नगर / संत रविदास नगर / मिर्जापुर / बदायूँ /
वाराणसी / कानपुर नगर / लखनऊ / फैजाबाद / मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग लखनऊ : दिनांक– 15 फरवरी, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों में अनाहरित बचत की धनराशि को योजना (द्वितीय चरण) के अवशेष निर्माण कार्यों की पूर्ति हेतु अन्य जनपदों को स्थानान्तरित / पुनर्आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 558 / 26–ब0प्र0–2010–9सा / 2009 दिनांक 24–06–2010 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के उपयोगार्थ स्वीकृत जनपदवार कुल धनराशि रू0 247.902 करोड़ के सापेक्ष संलग्नक–1 में जनपदवार उल्लिखित अनाहरित बचत की धनराशि रू0 90,58,50,000 / – (रूपये नब्बे करोड़ अट्ठावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि योजना के अवशेष निर्माण कार्यों की पूर्ति हेतु संलग्नक–2 में उल्लिखित जनपदवार विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्थानान्तरित / पुनर्आवंटित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्थानान्तरित / पुनर्आवंटित की जा रही धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को एकमुश्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्थानान्तरित / पुनर्आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्थानान्तरित / पुनर्आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा ।

(3) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों का अधिकतम मूल्य रू0 2,45,000/– (रूपया दो लाख पैलालिस हजार मात्र) रखा गया है जिसमें अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। योजना के समयबद्व होने के कारण इसमें किसी प्रकार की मूल्यवृद्वि अनुमन्य नहीं होगी।

(4) स्थानान्तरित/पुनर्आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 तक करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त स्थानान्तरित/पुनर्आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 /टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जायेगा।

(6) शासनादेश संख्या– 5376/नौ–5–2008–153सा/2008 दिनांक 24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या– 7931/नौ–5–2009–247सा/2008 टी.सी. दिनांक 04–12–2009 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– उक्त पुनर्आवंटन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–558/26–ब0प्र0–2010–9सा0/2009, दिनांक 24–6–2010 के संलग्नक में उल्लिखित जनपदवार आवंटित धनराशि को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। अन्य विवरण व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 114 (1)/26–ब0प्र0 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन ।

3– सभी प्रमुख, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन ।

4– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना/कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।

5– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7– जिलाधिकारी– सुल्तानपुर/जौनपुर/मऊ/संत कबीरनगर/बिजनौर/श्रावस्ती/चन्दौली/सिद्वार्थनगर/महाराजगंज/आजमगढ/बलिया/बस्ती/गोण्डा एवं देवरिया उत्तर प्रदेश।

8– कोषाधिकारी, जनपद– कौशम्बी/काशीराम नगर/संत रविदास नगर/मिर्जापुर/बदायूँ/ वाराणसी/कानपुर नगर/लखनऊ/फैजाबाद/ मुरादाबाद, उ0प्र0।

9– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।

10– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

11– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 लखनऊ ।

12– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।

13– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा0 मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)

14– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–3

15– नियोजन अनुभाग–3/4/ए0आई0सी0

16– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 114 /26–ब0प्र0–2011–9सा/09 दिनांक 15 फरवरी, 2011 का **संलग्नक–1**

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) में निर्माणाधीन भवनों के सापेक्ष उपलब्ध बचत के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या– 566/एम–51 दिनांक 08–02–2011 के अनुसार जनपदों में अनाहरित बचत की धनराशि का विवरण :–

कार्यदायी संस्था का नाम– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**शासनादेश संख्या–558/26–ब–प्र0–2010–9सा/2009 दि0 24–6–10 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अनाहरित धनराशि (रूपये करोड़ में)**
1	सुल्तानपुर	6.826
2	जौनपुर	6.125
3	मऊ	2.369
4	संत कबीरनगर	9.185
5	बिजनौर	5.000
6	श्राबस्ती	6.125
7	चन्दौली	6.125
8	सिद्वार्थनगर	6.125
9	महाराजगंज	9.000
10	आजमगढ	2.370
11	बलिया	5.000
12	बस्ती	9.185
13	गोण्डा	9.800
14	देवरिया	7.350
	योग	**90.585**

(उमा शंकर सिंह)
अनुसचिव

शासनादेश संख्या– 114 /26–ब0प्र0–2011–9सा/2009 दिनांक– 15 फरवरी, 2011 का संलग्नक–2

उन जनपदों/विकास प्राधिकरणों की सूची तथा आवंटित की जाने वाले धनराशि का विवरण।

क्र0 सं	जनपद का नाम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत/आवंटित धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	कौशाम्बी	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	3.00
2	कांशीराम नगर	--- तदैव ---	5.00
3	सन्त रविदासनगर	--- तदैव ---	2.598
4	मिर्जापुर	--- तदैव ---	5.00
5	बदायूँ	--- तदैव ---	1.00
6	वाराणसी	वाराणसी विकास प्राधिकरण	0.81
7	कानपुर नगर	कानपुर विकास प्राधिकरण	15.70
8	लखनऊ	लखनऊ विकास प्राधिकरण	40.00
9	फैजाबाद	अयोध्या–फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2.00
10	मुरादाबाद	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	15.477
		योग	**90.585**

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

संख्याः 536 /आठ–2–11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांकः 24 फरवरी, 2011

विषयः मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के द्वितीय चरण में निर्माणाधीन भवनों हेतु धनराशि की उपलब्धता।

महोदय,

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के द्वितीय चरण के भवनों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय चरण हेतु आवश्यक धनराशि आपको उपलब्ध करा दी गई है किन्तु कतिपय जनपदों में आवंटित सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को अभी तक उपलब्ध नही कराई गई है। द्वितीय चरण में निर्मित किये जा रहे भवनों के जनपदवार लक्ष्य की सूची संलग्न है। सूची के अनुसार रू. 2.45 लाख प्रति आवासीय इकाई की दर से जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराते हुए अवशेष सरप्लस धनराशि तत्काल समर्पित किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय चरण हेतु आवंटित की गई धनराशि में से जनपद में निर्मित किये जा रहे भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष रू. 2.45 लाख प्रति आवासीय इकाई की दर से सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराते हुए अवशेष सरप्लस धनराशि तत्काल समर्पित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

आलोक
(आलोक कुमार)
सचिव

2.............

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. संबंधित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त जिलाधिकारी को आज ही फैक्स के माध्यम से पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(एच.पी. सिंह)
उप सचिव।

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के जनपदवार लक्ष्य(द्वितीय चरण)

क्र.	अभिकरण का नाम	निर्मित किये जा रहे भवनों की संख्या
1	गाजियाबाद	1504
2	कानपुर नगर	1504
3	कानपुर देहात	400
4	लखनऊ	6400
5	आगरा	1361
6	इलाहाबाद	1392
7	मेरठ	0
8	मुरादाबाद	2392
9	अलीगढ़	576
10	बरेली	0
11	गोरखपुर	0
12	मथुरा–वृन्दावन	1040
13	वाराणसी	1500
14	बॉदा	0
15	बुलन्दशहर	0
16	फैजाबाद	668
17	फिरोजाबाद	1472
18	झॉसी	1500
19	मुजफ्फरनगर	156
20	रायबरेली	0
21	सहारनपुर	0
22	उन्नाव	840
23	रामपुर	0
24	उरई	1500
25	नोएडा (गौतमबुद्धनगर)	0
	ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर)	500
26	कौशाम्बी	1000
27	संत रविदासनगर	204
28	सोनभद्र	600
29	मिर्जापुर	504
30	बागपत	1036
31	गाजीपुर	616
32	इटावा	1500
33	कन्नौज	1100
34	औरैया	924
35	फतेहपुर	108
36	हमीरपुर	1008
37	महोबा	796
38	बदायूँ	708
39	शाहजहॉपुर	264
40	महामायानगर	500

41	कांशीराम नगर	1200
42	एटा	876
43	मैनपुरी	300
44	सुल्तानपुर	72
45	बाराबंकी	300
46	अम्बेडकरनगर	1080
47	हरदोई	1500
48	सीतापुर	720
49	ललितपुर	264
50	लखीमपुर खीरी	1000
51	प्रतापगढ़	648
52	बलरामपुर	156
53	कुशीनगर	0
54	पीलीभीत	0
55	बुलन्दशहर	0
56	जौनपुर	0
57	चित्रकूट	0
58	मऊ	0
59	फर्रूखाबाद	0
60	ज्योतिबाफूलेनगर	0
61	संत कबीर नगर	0
62	बिजनौर	0
63	श्रावस्ती	0
64	चन्दौली	0
65	सिद्धार्थनगर	0
66	महाराजगंज	0
67	आजमगढ़	0
68	बलिया	0
69	बहराइच	0
70	बस्ती	0
71	गोण्डा	0
72	देवरिया	0

(एच० ना० सिंह)
उप सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–345 /आठ–2–11–17 का0यो0 / 11

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 24 फरवरी, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे भवनों के आवासीय परिसरों में निवासियों के लिए प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, उचित दर की दुकानें तथा रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए कियोस्क / छोटी दुकानें बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–1372 / नौ–7–10–10का0यो0 / 2010 दिनांक 15 जून, 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में निर्मित किये जा रहे भवनों के आवासीय परिसरों में निवासियों के लिए प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, उचित दर की दुकानें तथा रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए कियोस्क / छोटी दुकानें बनाये जाने के संबंध में विचार करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि कई आवासीय परिसरों में अभी तक उक्त सुविधायें विकसित नहीं की गई है, जिससे निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

3– अतः मुझे आपसे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजनान्तर्गत विकसित सभी आवासीय परिसरों में संबंधित विभागीय मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, उचित दर की दुकानें, रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुयें कय करने हेतु छोटी दुकानें तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जाय। जहॉ आवासों की संख्या कम हो, वहॉ स्वास्थ्य सेवा कैम्प लगाकर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। जहॉ आवासीय परिसर मुख्य बस्ती से दूर स्थित हैं, वहॉ परिवहन व्यवस्था के लिए भी आवश्यक परमिट जारी किये जायें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या– 345 (1)/आठ–2–11 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन को शासनादेश दिनांक 15–6–2010 की प्रति सहित।

2– सभी प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6– समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

7– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा0 मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)

10– निदेशक आवास बन्धु, जनपथ लखनऊ को इस आशय से पृष्ठांकित कि कृपया प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों/विकास प्राधिकरण को फैक्स/ई.मेल के माध्यम से उक्त पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मन्जु चन्द्र)
विशेष सचिव

संख्या– 666 /आठ–2–11–61मा0का0यो0/10

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
जल निगम, उ0प्र0
6, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक– 07 मार्च 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के द्वितीय चरण में निर्मित हो रहे भवनों में जलापूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के द्वितीय चरण में भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन आवासों में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था अविलम्ब किये जाने की अपरिहार्यता है। इन भवनों में जलापूर्ति के लिए उच्च जलाशय (ओवरहेड टैंक) के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा ''नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था योजना'' के अन्तर्गत की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में निर्मित हो रहे आवासों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता का आंकलन कर उच्च जलाशय (ओवरहेड टैंक) के निर्माण हेतु धनराशि का विस्तृत आगणन सृजित कर शीघ्रातिशीघ्रं नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कृपया आगणन सृजित करने के पूर्व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं निदेशक, आवास बन्धु से भी समन्वय कर लें।

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– (1)/आठ–2–11, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस पत्र की प्रति समस्त जिलाधिकारियों/उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को फैक्स/ई–मेल से शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या–726/आठ–2–11–3एच0बी0(25)/11

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक–11 मार्च, 2011**

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत निर्मित हो रहे भवनों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ज्ञातव्य है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गये जनपदों के भ्रमण में प्रायः मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासीय परिसरों में अनेकों कमियां पाई गई हैं यथा–स्थल विकास अपूर्ण है/पेयजल की आपूर्ति की समस्या है/लिंक मार्ग कच्चे हैं आदि। कहीं–कहीं पर यह भी स्थिति सामने आयी है कि यथोचित जलापूर्ति न होने के कारण निर्मित आवास आवंटित नहीं किये जा सके हैं।

2– वर्तमान में योजनान्तर्गत द्वितीय चरण के भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। परन्तु इस बात की जानकारी शासन स्तर पर नहीं है कि द्वितीय चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासीय परिसरों में आवश्यक आन्तरिक व वाह्य स्थल विकास के लिए ससमय समुचित कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं। प्रमुखतः आवासों को रहने योग्य करने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति, पहुँच मार्ग, विद्युत संयोजन, सीवर कनेक्शन/अन्य उचित व्यवस्था तथा जल निकासी की व्यवथा करना परमआवश्यक है। आन्तरिक स्थल विकास की कार्यवाही कार्यदायी संस्था द्वारा ही की जा रही है और इसके लिए योजनान्तर्गत बनाये गये प्राकलन में प्रावधान होता है, परन्तु उपरोक्त पांच यूटीलीटीज के लिए वाह्य विकास कार्य हेतु संबंधित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जानी होती है क्योंकि इसके लिए व्यवस्था यह विभाग अपनी विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से कराते हैं। कहीं–कहीं वाह्य जल निकासी के लिए अवस्थापना मद से भी प्रावधान कराने की आवश्यकता पड़ती है।

3– यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपरोक्तानुसार वाह्य स्थल विकास का कार्य आवासों के निर्माण के साथ–साथ पूर्ण हो जाये ताकि आवासों के आवंटन के उपरान्त निवासियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

4– अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अविलम्ब आवास निर्माण का कार्य कर रही कार्यदायी संस्था तथा वाह्य स्थल विकास से संबंधित विभागों की समन्वय बैठक अपने स्तर पर कर लें और संबंधित कार्यो को समय से पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इस तरह की पहली समन्वय बैठक अवश्य एक सप्ताह के भीतर कर ली जाय और उसके उपरान्त इसकी पाक्षिक/मासिक समीक्षा अपने स्तर से कर लें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाये।

भवदीय,
आलोक
(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या–726 (1)/आठ–2–11, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा विभाग/ लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग।
2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ को इस आशय से प्रषित कि कृपया इस पत्र की प्रति समस्त मण्डलायुक्तों /जिलाधिकारियों / विकास प्राधिकरणों को फैक्स/ ई–मेल से शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(मन्जु चन्द्र)
विशेष सचिव

संख्या– 978 /आठ–2–2011–09 सा/09 टी0सी0–2

प्रेषक,

मंजु चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी, जालौन, गौतमबुद्धनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, इटावा, कन्नौज, औरेया, हमीरपुर, महोबा, बदायूँ, महामायानगर, कांशीरामनगर, एटा, मैनपुरी, अम्बेडकरनगर, हरदोई, लखीमपुर–खीरी, प्रतापगढ़, बलरामपुर, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक– 13 अप्रैल, 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के निर्माणाधीन आवासों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या–558/26–ब0प्र0–2010–09 सा0/ 2009, दिनांक–24–6–2010 एवं शासनादेश संख्या–114/26–ब0प्र0–2011–09 सा0/ 2009, दिनांक–15–2–2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के उपयोगार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक में बजट प्राविधानित धनराशि में से रू0 2,00,00,000,00/– (रूपये दो अरब मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते एवं पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो।

(4) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों की प्रति आवास अधिकतम लागत रू0 2,45,000/– (रूपया दो लाख पैतालीस हजार मात्र) रखी गयी है, जिसमें अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। योजना के समयबद्ध होने के कारण किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिनांक–31 मार्च, 2012 तक करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलबध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–2008–153 सा0/2008, दिनांक–24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931/नौ–5–2009–153 सा0/ 2008टी.सी., दिनांक–04–12–2009 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–2 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक–4217 (आयोजनागत) शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–60–अन्य शहरी विकास योजनायें, 800– अन्य व्यय, 03– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, 35– पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–8–1050/दस–11–दिनांक–13 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(**मंजु चन्द्र**)
विशेष सचिव ।

संख्या– 978 (1)/आठ–2–2011, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/सूचना/कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6– **उपाध्यक्ष**, विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, ऊरई, ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0।
7– **कोषाधिकारी**, जनपद–गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झॉसी, जालौन, गौतमबुद्धनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, इटावा, कन्नौज, औरेया, हमीरपुर, महोबा, बदायूँ, महामायानगर, कांशीरामनगर, एटा, मैनपुरी, अम्बेडकरनगर, हरदोई, लखीमपुर–खीरी, प्रतापगढ़, बलरामपुर, उ0प्र0।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
9– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
11– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
12– निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) उ0प्र0, लखनऊ।
13– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0, लखनऊ।
14– निदेशक, आवास बन्धु ।
15– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8..
16– नियोजन अनुभाग–3/4./एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

शासनादेश सं0–978/आठ–2–2011–09 सा0/09टी0सी0–2 दिनांक– 13 अप्रैल,2011 का संलग्नक

(धनराशि रू0 करोड़ में)

कमांक	जनपद	आवासों की संख्या	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	गाजियाबाद	1504	15.00
2	कानपुर नगर	1504	शून्य
3	कानपुर देहात	400	शून्य
4	लखनऊ	6400	31.00
5	आगरा	1361	शून्य
6	इलाहाबाद	1392	शून्य
7	मेरठ	शून्य	शून्य
8	मुरादाबाद	2392	15.00
9	अलीगढ़	576	शून्य
10	बरेली	शून्य	शून्य
11	गोरखपुर	शून्य	शून्य
12	मथुरा–वृन्दावन	1040	10.00
13	वाराणसी	1500	शून्य
14	बॉदा	शून्य	शून्य
15	बुलन्दशहर	शून्य	शून्य
16	फैजाबाद	668	5.00
17	फिरोजाबाद	1472	13.00
18	झॉसी	1500	8.00
19	मुजफ्फरनगर	156	शून्य
20	रायबरेली	शून्य	शून्य
21	सहारनपुर	शून्य	शून्य
22	उन्नाव	840	शून्य
23	रामपुर	36	शून्य
24	उरई (जालौन)	1500	6.00
25	नोएडा (गौतमबुद्धनगर)	शून्य	शून्य
	ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर)	500	शून्य
26	कौशाम्बी	1000	6.00
27	संत रविदासनगर	204	शून्य
28	सोनभद्र	600	1.470
29	मिर्जापुर	504	2.548
30	बागपत	1036	शून्य
31	गाजीपुर	616	5.00
32	इटावा	1500	12.00
33	कन्नौज	1100	0.700
34	औरैया	924	6.00
35	फतेहपुर	108	शून्य
36	हमीरपुर	1008	1.616
37	महोबा	796	5.00

38	बदायूँ	708	5.00
39	शाहजहॉपुर	264	शून्य
40	महामायानगर	500	2.00
41	कांशीराम नगर	1200	8.00
42	एटा	876	9.00
43	मैनपुरी	300	2.00
44	सुल्तानपुर	72	शून्य
45	बाराबंकी	300	शून्य
46	अम्बेडकरनगर	1080	14.444
47	हरदोई	1500	7.00
48	सीतापुर	720	शून्य
49	ललितपुर	264	शून्य
50	लखीमपुर खीरी	1000	5.00
51	प्रतापगढ़	648	4.00
52	बलरामपुर	156	0.222
53	कुशीनगर	शून्य	शून्य
54	पीलीभीत	शून्य	शून्य
55	बुलन्दशहर	शून्य	शून्य
56	जौनपुर	शून्य	शून्य
57	चित्रकूट	शून्य	शून्य
58	मऊ	शून्य	शून्य
59	फर्रूखाबाद	शून्य	शून्य
60	ज्योतिबाफूलेनगर	शून्य	शून्य
61	संत कबीर नगर	शून्य	शून्य
62	बिजनौर	शून्य	शून्य
63	श्रावस्ती	शून्य	शून्य
64	चन्दौली	शून्य	शून्य
65	सिद्धार्थनगर	शून्य	शून्य
66	महाराजगंज	शून्य	शून्य
67	आजमगढ़	शून्य	शून्य
68	बलिया	शून्य	शून्य
69	बहराइच	शून्य	शून्य
70	बस्ती	शून्य	शून्य
71	गोण्डा	शून्य	शून्य
72	देवरिया	शून्य	शून्य
	योग—	**43689**	**200.00**

(धनराशि रूपये दो अरब मात्र)

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव।

प्राथमिकता

संख्या– 1431 /आठ–2–11–3एच0बी0(25)/11टी.सी.

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
कानपुर/आगरा/मथुरा/कौशाम्बी/सोनभद्र/गाजीपुर/हमीरपुर/शाहजहॉपुर/वाराणसी/कांशीराम नगर/एटा/ अम्बेडकर नगर/हरदोई/प्रतापगढ/ बलरामपुर/संतरविदासनगर/मिर्जापुर/कन्नौज/औरैया/महोबा/हमीरपुर/ बदायूँ/महामायानगर/मैनपुरी/सुल्तानपुर/बाराबंकी/सीतापुर/ललितपुर/ लखीमपुर खीरी/बागपत/इटावा/फतेहपुर/महोबा, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक– 13 मई, 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण के निर्माणाधीन भवनों के परिसरों में वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–726/आठ–2–11–3एच0बी0(25)/11 दिनांक 11 मार्च, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 मंत्री जी द्वारा किये गये जनपदों के भ्रमण में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत पायी गयी कमियों का सन्दर्भ देते हुए योजनान्तर्गत निर्मित भवनों को रहने योग्य करने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति, पहुॅच मार्ग, विद्युत संयोजन, सीवर कनेक्शन तथा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये थे। यह भी अपेक्षा की गयी थी कि चूॅकि उक्त 05 प्रमुख यूटिलीटीज के लिए वाह्य विकास कार्य हेतु बजट की व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा की जाती है, तथा कहीं–कही वाह्य जल निकासी के लिए अवस्थापना मद से भी धनराशि की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पड़ती है। अतएव वाह्य विकास का कार्य आवासों के निर्माण के साथ–साथ पूर्ण करने एवं कार्यदायी संस्थाओं तथा वाह्य स्थल विकास से संबंधित विभागों की पहली समन्वय बैठक एक सप्ताह के अन्दर अपने स्तर पर आयोजित करके इसकी पाक्षिक/मासिक समीक्षा बैठक आहूत करने की अपेक्षा की गयी थी। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को अब तक अवगत नहीं कराया गया है।

2– उक्त अपेक्षित कार्यवाही की समीक्षा में यह पाया गया है कि संलग्न विवरण के अनुसार आपके जनपद में योजनान्तर्गत द्वितीय चरण के निर्माणाधीन भवनों/परिसरों में वाह्य विकास से संबंधित सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सीवरेज, सैप्टिक टैंक, ड्रेनेज तथा विद्युतीकरण का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–

1139/आठ–2–11–3एच0बी0(25)/11 टी.सी. दिनांक 16–4–2011 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। वाह्य विकास के कार्यो की प्रगति के सम्बंध में माह अप्रैल, 2011 में सम्पन्न राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में भी इस आशय का प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसमें यह परिलक्षित हुआ था कि आपके जनपद में संलग्न सूची में इंगित के अनुसार वाह्य विकास के कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण के निर्माणाधीन कालोनी/परिसरों में वाह्य विकास के कार्यों के विषय में स्थिति का ऑकलन करके सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं का यथोचित पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन करते हुए प्राथमिकता पर उक्त कार्य प्रारम्भ कराकर प्रगति से अविलम्ब शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– 143 (1)/आठ–2–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस पत्र को संबंधित जिलाधिकारियों को फैक्स/ई. मेल से आज ही प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्यो-- 662 /26–ब0प्र0–2011– 09सा/09

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, कानपुर नगर, रमाबाई नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी, उन्नाव, जालौन, गौतमबुद्ध नगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, इटावा, औरेया, बदायूँ, महामायानगर, कांशीरामनगर, एटा,, अम्बेडकर नगर, हरदोई, लखीमपुर–खीरी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग — लखनऊ : दिनांक– 17 अगस्त, 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के निर्माणाधीन आवासों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित लक्ष्य (भवनों का लक्ष्य) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक में बजट प्राविधानित धनराशि में से **रू0 1,43,74,75,000/– (रूपये एक अरब तैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का ब्यय/ उपयोग केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए किया जायेगा। किसी भी दशा में इसका व्यय/उपयोग सामान्य या अन्य वर्ग के लिए नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते एवं पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो।

(4) योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रति आवास अधिकतम लागत रू0 2,45,000/– (रूपया दो लाख पैतालीस हजार मात्र) रखी गयी है, जिसमें अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। योजना के समयबद्ध होने के कारण किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजना के द्वितीय चरण के भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–2008–153 सा0/2008, दिनांक–24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931/नौ–5–2009–153 सा0/2008 टी.सी., दिनांक 04–12–2009 एवं शासनोदश संख्या–1654/आठ–2–2011–247सा0/08 टी.सी.–1 दिनांक 10–6–2011 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनागत)–60–अन्य शहरी विकास योजनायें, 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03– मा0कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, 35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–1490/दस–2011, दिनांक– 12 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0बी सिंह)
संयुक्त सचिव ।

662 (1)/26.आ0 50/2011

संख्या- ~~(1)/आठ-2-2011,~~ तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/सूचना/कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6- **उपाध्यक्ष**, विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, उन्नाव, ऊरई (जालौन), ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0।
7- **कोषाधिकारी**, जनपद-गाजियाबाद, कानपुर नगर, रमाबाई नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झॉसी, उन्नाव, जालौन, गौतमबुद्ध नगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, इटावा, औरैया, बदायूँ, महामायानगर, कांशीरामनगर, एटा,, अम्बेडकर नगर, हरदोई, लखीमपुर-खीरी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
11- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
12- निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) उ0प्र0, लखनऊ।
13- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
14- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, न्रर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
15- निदेशक, आवास बन्धु, जनपद मॉर्केट, लखनऊ ।
16- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3.
17- नियोजन अनुभाग-3 एवं 4 /आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 एवं 2
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव ।

शासनादेश संख्या—662 / 26—ब0प्र0—2011—09सा0 / 09 दिनांक 17 अगस्त, 2011 का संलग्नक।

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	जनपद	आवासों की संख्या (भौतिक लक्ष्य)	आवंटित धनराशि
1	गाजियाबाद	1504	11.848
2	कानपुर	1504	3.098
3	रमाबाई नगर	400	0.18
4	लखनऊ	6400	49.05
5	इलाहाबाद	1392	6.854
6	मुरादाबाद	2392	11.417
7	मथुरा	1040	1.40
8	फैजाबाद	668	0.956
9	फिरोजाबाद	1472	5.034
10	झाँसी	1500	2.50
11	उन्नाव	840	8.33
12	उरई (जालौन)	1500	1.75
13	ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्ध नगर)	500	3.25
14	कौशाम्बी	1000	5.700
15	गाजीपुर	616	1.918
16	इटावा	1500	5.9375
17	औरैया	924	2.208
18	बदायूँ	708	2.330
19	महामाया नगर	500	1.820
20	कांशीराम नगर	1200	4.380
21	एटा	876	2.735
22	अम्बेडकरनगर	1080	2.016
23	हरदोई	1500	3.500
24	लखीमपुर—खीरी	1000	1.470
25	प्रतापगढ़	648	4.066
	योग	**32664**	**143.7475**

(कुल निर्गत धनराशि रूपये एक अरब तैतालीस करोड़ चौहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

संख्या–3088 / आठ–2–11–247सा0 / 08टी0सी0

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्लायुक्त, उ0प्र0
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक–23 दिसम्बर, 2011**

विषय– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या–3749 / नौ–5–2009–247सा0 / 08 टी0सी0 दिनांक 23.04.2010 द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में शासनादेश संख्या–1654 / आठ–2–11–247 सा0 / 08टी0सी0–1 दिनांक 10.06.2011 तथा शासनादेश संख्या–2230 / आठ–2–11–247 सा0 / 08टी0सी0–1 दिनांक 09.08.2011 द्वारा योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण में निर्मित भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि पूर्व शासनादेशों में योजनान्तर्गत आवास आवंटन के लिए पात्रता की जो शर्तें निधारित की गयी हैं उनमें अधिकतम 30 वर्ग मीटर आवासीय भूमि रखने वाले / गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी क्षेत्र के आवासहीन व्यक्ति आवास आवंटन हेतु पात्र हैं, परन्तु विस्तृत सर्वे के उपरान्त यह पाया गया है कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके पास 30 वर्गमीटर से अधिक आवासीय भूमि है परन्तु उनके पास नगर क्षेत्र में कोई पक्का मकान नहीं है, अर्थात 30 वर्गमीटर भूमि की शर्त होने के कारण वे बी0पी0एल0 श्रेणी के होते हुए भी पात्रता की सीमा में नहीं आते है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त पात्र लाभार्थी न मिल पाने के कारण जिलाधिकारियों द्वारा 30 वर्गमीटर को बढ़ाने का शासन से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरन्त शासन द्वारा निम्नवत पात्रता की शर्तों में संशोधन किया जाता है:–

(1) अनारक्षित वर्ग के अनावंटित आवासों को सर्वप्रथम उसी नगर के अनुसूचित जाति के पात्र लाभार्थियों को आवंटित किये जायेंगे,तदोपरान्त अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आवंटित किये जायेंगे। इसके उपरान्त ही समीपवर्ती नगरों के लाभार्थियों को आवास आवंटित किये जा सकेंगे।

(2) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था का पालन करते हुए 30 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भूमि न रखने वाले आवेदकों को सर्वप्रथम आवास आवंटित किये जायेंगे उसके उपरान्त 100 वर्ग मीटर से कम आवासीय भूमि रखने वाले लाभार्थियों

को इस शर्त के साथ आवास आवंटित किये जा सकेंगे जो उसी नगर के लाभार्थी हों और गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी के हों अथवा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत पात्र हों।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर 2(1) व 2(2) के अनुसार आवंटन करने के उपरान्त भी पात्र व्यक्ति न मिलने की दशा में अवशेष आवासों को निकटवर्ती नगर निकायों के आवेदकों को आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर 2 के अनुसार आवास आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आवास आवंटन/पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या–3083(1)/आठ–2–2011, तददिनांक।

उपर्युक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव वित्त/समाज कल्याण/नगर विकास/नियोजन/न्याय /सूचना उ0प्र0 शासन।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
11. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
12. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, (श्री जमील अख्तर)।
13. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव